

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

अधिसूचना सं. 52/2021-सीमाशुल्क

नई दिल्ली, 3 नवंबर, 2021,

सा.का.नि. (अ).-केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) के साथ पठित वित्त अधिनियम, 2018 (2018 का 13) की धारा 111 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर ऐसा करना लोक हित में आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं0 18/2019-सीमाशुल्क, तारीख 6 जुलाई, 2019, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड-3, उपखंड (i) में सा.का.नि. 475 (अ) तारीख 6 जुलाई, 2019 द्वारा प्रकाशित की गई थी, में और आगे निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्-

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, -

- (i) क्रम संख्या 1 के सामने, स्तंभ (4) की प्रविष्टि के स्थान पर "13 रु. प्रति लीटर" प्रतिस्थापित की जाएगी;
- (ii) क्रम संख्या 2 के सामने, स्तंभ (4) की प्रविष्टि के स्थान पर "8 रु. प्रति लीटर" प्रतिस्थापित की जाएगी।

2. यह अधिसूचना 4 नवंबर, 2021, से प्रभावी होगी।

[फा.सं. 354/72/2021-टीआरयू]

(गौरव सिंह)
उप सचिव, भारत सरकार

नोट: प्रधान अधिसूचना सं. 18/2019-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 6 जुलाई, 2019 को सा.का.नि. 475(अ), तारीख 6 जुलाई, 2019 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना सं. 21/2020-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, संख्या सा.का.नि. 277(अ), तारीख 5 मई, 2020 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया है।